

**पटना उच्च न्यायलय के क्षेत्राधिकार में
2019 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 640**

वर्ष- 2009 में थाना वाद सं.- 203, थाना- खाजेकला, जिला- पटना का उद्भूत,

=====

राजीव रंजन, पुत्र- लक्ष्मण राम, ग्राम के निवासी- खाजेकला, गंगा घाट रोड, थाना-
खाजेकला, जिला- पटना

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

श्री शिवम, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री सुजीत कुमार सिंह, एपीपी

=====

अपील - दोषसिद्धि एवं सजा के विरुद्ध

गवाहों के बयानों में बड़े विरोधाभास, विसंगतियां और सुधार हैं और उक्त गवाहों को
स्टर्लिंग गवाह नहीं कहा जा सकता है। (पैरा 33)

अभियोजन जांच अधिकारी से पूछताछ करने में विफल रहा है। - एफ.आई.आर. भी
प्रदर्शित नहीं किया गया है - सभी स्वतंत्र गवाहों ने विशेष रूप से गवाही दी है कि
उनके बयान जांच अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किए गए हैं - वर्तमान मामले के तथ्यों
और परिस्थितियों में, बचाव पक्ष पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है (पैरा 33.1)

अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन यह साबित करने
में विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में
मृत्तिका के साथ क्रूरता की थी। (पैरा 37)

अपील की अनुमति है (पैरा 41)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायाधीश श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायाधीश श्री विपुल एम. पंचोली)

तारीख: 19-09-2024

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-374 (2) के तहत दायर की गई है (जिसे इसके बाद 'अपील द.प्र.सं.' के रूप में संदर्भित किया गया है) जिसमें 2011 के सत्र परीक्षण संख्या 403 (2009 के खजेकला थाना मामले संख्या 203 से उत्पन्न) में पटना सिटी के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII द्वारा पारित दोषी ठहराए जाने के फैसले और सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता/दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा-304 बी (इसके बाद भा.दं.सं. के रूप में संदर्भित) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

2. श्री अजय कुमार ठाकुर, श्री शिवम द्वारा सहायता प्राप्त अपीलार्थी के विद्वान वकील और प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान एपीपी श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी, संक्षेप में, इस प्रकार है:

"सूचक पिता द्वारा 17.09.2009 को दर्ज कराए गए एफ. आई. आर. के अनुसार, सूचक की बेटी की शादी 23.11.2005 को खजेकला निवासी लक्ष्मण राम के छोटे बेटे राजीव रंजन के साथ हुई थी। शादी के 15-20 दिनों के बाद, उसके ससुर

(लक्ष्मण), सास, रवि रंजन और उसके पति (राजीव रंजन) द्वारा 2,00,000 रुपये की मांग की। सूचना देने वाला अपनी क्षमता के अनुसार मांग को पूरा करने में कामयाब रहा। उसकी बेटी को कई बार पीटा गया और उसके घर वापस भेज दिया गया। पिछले कुछ दिनों से रेफ्रिजरेटर की मांग की जा रही थी जो सूचक ने दी थी। सूचक को उसकी बेटी ने बताया कि कुछ दिनों से स्थिति तनावपूर्ण थी, जिसके बाद उसने उसे जल्द ही उसके पास जाने का आश्वासन दिया। कल शाम, उन्होंने अपनी बेटी से बात की जब उसने उनके पोते को जन्मदिन की बधाई दी। उस समय स्थिति काफी सामान्य थी। अंतिम दिन यानी 16.09.2009 को, 08:30 रात को सूचक को टेलीफोन पर सूचित किया गया कि उसकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तुरंत, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ 11:00 रात्रि में वे पटना सिटी पहुँचे एवं उन्होंने अपनी बेटी को जमीन पर मृत पाया। जब उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो दामाद राजीव रंजन ने बताया कि उन्होंने आधी साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने खुद को लटकाने के लिए आधी साड़ी का इस्तेमाल किया, जो स्पष्टीकरण आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता था। उसकी गर्दन में चोट लगने से खून बह रही थी और सामने की ओर से गहराई से दबाया गया था और गर्दन के पिछले हिस्से में कोई चोट नहीं थी। उनकी बेटी की जीभ बाहर नहीं निकली थी। उपरोक्त कारणों से, सूचक को आशंका है कि उसकी बेटी दीपा रानी की अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा आपराधिक साजिश के तहत हत्या कर दी गई थी।"

4. एफ. आई. आर. दाखिल करने के बाद, जांच एजेंसी ने जांच की और जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और संबंधित दस्तावेज एकत्र किए और उसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था जहां इसे 2011 के सत्र परीक्षण संख्या 403 के रूप में दर्ज किया गया

था।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर शुरू में प्रस्तुत करते हैं कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी है, जिसमें *दुर्भावनापूर्ण* इरादे से, वर्तमान अपीलार्थी को फंसाया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि, सूचक के मामले के अनुसार, उसे जानकारी मिली कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। इस तरह की जानकारी उन्हें टेलीफोन पर रात करीब 8:30 बजे 16-09-2009 को मिली और वे 11:00 बजे रात्रि में अपनी बेटी के घर पहुंचे। हालांकि, पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। घटनास्थल पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, उसके द्वारा तुरंत प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि लिखित शिकायत अगले दिन यानि उनकी बेटी के अंतिम संस्कार के बाद, लगभग 2:00 बजे 17-09-2009 के अपराहन में हो गई थी। विद्वान वकील ने आगे कहा कि, सूचक द्वारा दी गई लिखित शिकायत में, उसने घटना से पहले की तारीख को शाम साढ़े छह बजे अपनी बेटी के टेलीफोन कॉल के बारे में बताया था, जब उसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उस समय स्थिति काफी सामान्य थी। हालांकि, सूचक पी. डब्ल्यू. 11, ने अपने बयान के दौरान पहली बार अदालत के समक्ष गवाही दी थी कि उसकी बेटी ने उसे दहेज की मांग के लिए उसके साथ हुई क्रूरता के बारे में सूचित किया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि सूचक ने अदालत के समक्ष अपने बयान में सुधार किया है और सूचक के बयान में बड़े विरोधाभास, विसंगतियां और सुधार हैं।

5.1 अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इसके बाद प्रस्तुत किया कि, अभियोजन के वाद के अनुसार भी दहेज की मांग वर्ष 2006 में एवं जनवरी, 2007 में पिछली बार की गई थी। हालांकि, उसके बाद, कथित घटना सितंबर 2009 में एक लंबे अंतराल के बाद हुई। अभियोजन पक्ष यहाँ तक कि अपीलार्थी द्वारा मृतक के साथ की गई क्रूरता को भी साबित करने में भी विफल रहा है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष आई. पी. सी.

की धारा 304 बी के तत्वों को साबित करने में विफल रहा है। विद्वान वकील श्री ठाकुर आगे प्रस्तुत करते हैं कि, वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप बचाव पक्ष के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच अधिकारी से पूछताछ न करने के कारण, बचाव पक्ष ने जांच अधिकारी से जिरह करने का अवसर खो दिया था। वास्तव में, सभी स्वतंत्र गवाहों, अर्थात् अभि.सा.-5, अभि.सा.-6 और अभि.सा.-7 ने विशेष रूप से अपीलार्थी और उसकी मृत पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के बारे में अदालत के समक्ष गवाही दी है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अभि.सा.-1, अभि.सा.-8 शत्रुतापूर्ण हो गए हैं। इस स्तर पर, विद्वान वकील द्वारा यह बताया गया है कि बचाव पुलिस द्वारा जांच के दौरान दर्ज किए गए थे। हालाँकि, अभियोजन पक्ष उक्त गवाहों और इसलिए, सूचक ने बचाव पक्ष के गवाहों के रूप में उनकी जाँच की है। अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है। बचाव पक्ष ने उससे जिरह करने का अवसर खो दिया है और इस तरह अपीलार्थी के प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, इस तरह की गैर-जांच अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। मुखबिर ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में उनकी जाँच की है। अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई है। बचाव पक्ष ने उससे जिरह करने का अवसर खो दिया है और इस तरह अपीलार्थी के प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, इस तरह की गैर-जांच अभियोजन पक्ष के लिए घातक है।

6. विद्वान वकील ने (2013) 6 एस सी सी 417 में प्रतिवेदित लाहू मामलाकर पाटिल और अन्य बानम महाराष्ट्र राज्य के मामले में मननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुति उपरोक्त विवाद के समर्थन में निर्णय पे भरोस रखा है।

7. इसके बाद विद्वान वकील ने निचली अदालत के रिकॉर्ड को संदर्भित किया

और उन तस्वीरों को इंगित किया जो प्रदर्शित की गई हैं। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों से यह तर्क दिया जाता है कि यह कहा जा सकता है कि अपीलार्थी और उसकी मृत पत्नी के साथ-साथ सूचक के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी ने समय-समय पर अपने और अपनी पत्नी के नाम पर किसान विकास पत्र में राशि का निवेश किया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. आई. आर. भी प्रदर्शित नहीं की गई है। इसलिए विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद निचली अदालत विवादित निर्णय और आदेश पारित किया और इसलिए, उसे रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

8. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। विद्वान एपीपी प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पक्ष ने आईपीसी की धारा 304बी के तत्वों को ठोस साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है, अर्थात् अभियोजन पक्ष के गवाह अभि.सा. 11, सूचना, अभि.सा. 9 सुनीता देवी, सूचना की पत्नी, अभि.सा. 3 रितेश कुमार, सूचना का बेटा, और अभि.सा. 4 मोहम्मद आरिफ हुसैन, सूचक का एक कर्मचारी सदस्य। विद्वान एपीपी ने इस स्तर पर अभि.सा. 10 डॉ. अशोक कुमार के बयान को भी संदर्भित किया है, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त गवाह के बयान से यह पता चलता है कि मृत्यु का कारण गर्दन पर दबाव के कारण दम घुटना है। अतः मृतक की मृत्यु अस्वाभाविक थी। इसलिए, विद्वान एपीपी ने आग्रह किया कि जब विवाह के चार साल की अवधि के भीतर मृतक की अप्राकृतिक कारण से मृत्यु हो जाती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के तहत अनुमान लगाया जाता है। विद्वान एपीपी आगे प्रस्तुत करता है कि मृतक की मृत्यु के बाद भी, अपीलार्थी ने दूसरी बार शादी की और उसके बाद अपीलार्थी ने अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने की कोशिश

की। हालाँकि, वह बच गई और उसके बाद अपीलार्थी के खिलाफ दायर किया गया है और उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।

9. इसलिए, विद्वान एपीपी ने आग्रह किया कि जब अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, तो निचली अदालत द्वारा विवादित निर्णय पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का भी अध्ययन किया है और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

11. इस स्तर पर, हम अभियोजन पक्ष के साथ-साथ निचली अदालत के समक्ष बचाव पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य के प्रासंगिक उद्धरण की सराहना करना चाहेंगे।

12. निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की। बचाव पक्ष ने 6 गवाहों से भी पूछताछ की है।

13. अभि.सा. 1 रामनाथ प्रसाद यादव, अभि.सा. 2 अजय कुमार और अभि.सा. 8 शिव नारायण प्रसाद ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है।

14. अभि.सा. 3 रितेश कुमार ने अपने जाँच-इन-चीफ में कहा है कि दीपा रानी उर्फ जूली उसकी छोटी बहन है। उनकी शादी राजीव रंजन के साथ 23.11.2005 को हुई थी। इस अवसर पर 13 भर सोना और अन्य घरेलू सामान दिए गए। वह अपने ससुराल गई और कुछ दिनों तक वहाँ खुशी-खुशी और सम्मान के साथ रही। इसके बाद, (दुकान में) पूंजी जुटाने के बहाने, राजीव रंजन, रवि रंजन, तारा देवी और लक्ष्मण राम ने उनके पिता से 2,00,000/- रुपये की मांग की। उन्होंने मांग को पूरा करने के

लिए उसकी बहन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और 20-25 दिनों के बाद, उन्होंने उसकी बहन को वापस बाढ़ भेज दिया। उसके पिता ने दो अन्य व्यक्तियों, श्री संत सिंह और मन्नू सिंह के साथ उसे सांत्वना दी और उसके ससुराल वापस ले आए और सभी अभियुक्तों की उपस्थिति में आरोपी को 1,00,000/- रुपये दिए। कुछ समय तक उसकी बहन के साथ सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर से आरोपी ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 06.03.2006 को आरिफ हुसैन के साथ अभिसाक्षी अपनी बहन के ससुराल गया और सभी आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति में आरोपी राजीव रंजन को 50,000/- का भुगतान किया। जुलाई, 2006 में, उनकी बहन को फिर से बाढ़ भेजा गया, जहाँ उन्होंने पटना सिटी के मझोलिया अस्पताल में एक लड़के को जन्म दिया। इलाज का पूरा खर्च उसके पिता ने वहन किया और आरोपी पक्ष से कोई भी उसकी बहन से मिलने नहीं आया। राजीव रंजन अपनी बहन को छोटी बहन स्वीटी के साथ अपने घर ले गया जो उसी दिन लौटी थी। 06.09.2009 को , रात 8:30 शाम, उसे टेलीफोन पर जानकारी मिली कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने उससे दो घंटे पहले अपनी बहन से बात की थी, जब सब कुछ सामान्य था। इस सूचना पर वे उसकी बहन के ससुराल पहुंचे। उसकी एक बहन की चप्पल दरवाजे पर पड़ी थी और पूजा का सामान घर में बिखरा हुआ था। ऊपर जाने पर पता चला कि उसकी बहन का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े ठीक नहीं थे। एक तार के कारण एक बंधन चिह्न था। उसका मुँह बंद था। केवल राजीव रंजन वहाँ मौजूद थे और कोई वहाँ मौजूद नहीं था। उसने कहा है कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है। वह अदालत में मौजूद आरोपी राजीव रंजन की पहचान करता है।

14.1. अपनी जिरह में, उसने दहेज की मांग, उक्त मांग को पूरा करने और अपनी बहन को दी गई यातना के संबंध में मुख्य परीक्षा में दिए गए अपने बयानों का समर्थन किया है। उन्होंने आगे कहा है कि स्वीटी 20-25 दिनों के बाद अपनी बहन के

ससुराल से लौटी थी। उसने पुलिस के सामने यह कहने से इनकार किया है कि स्वीटी उसी दिन लौट आई थी। उन्होंने गलत बयान देने के सुझाव से इनकार किया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि दहेज की मांग का आरोप झूठा है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि यह घटना दहेज की मांग की पूर्ति के नहीं होने के कारण हुई थी।

15. अभि. सा. 4 मो. आरिफ हुसैन ने अपने जाँच-इन-चीफ में कहा है कि दीपा रानी की शादी राजीव रंजन से 23.11.2005 को हुई थी। उन्होंने अभि. सा. 3 द्वारा बताई गई घटनाओं के क्रम का भी समर्थन किया है जैसे कि दहेज की मांग, दीपा रानी को दी गई यातना, 2006 में दीपा रानी से एक पुरुष बच्चे का जन्म। उन्होंने आगे कहा कि 16.09.2021 को वह 7-8 लोगों के साथ राजीव रंजन के घर गए थे और उन्होंने देखा कि दीपा रानी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और उसका शव बरामदे में पड़ा हुआ था। उसका मुँह और आँखें बंद थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि आरोपी राजीव रंजन, रवि रंजन, लक्ष्मण राम और तारा देवी ने मिलकर हत्या की थी। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनका बयान ले लिया है। वह अदालत में मौजूद राजीव रंजन की पहचान करता है।

15.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उनका बयान घटना के दो-तीन दिन बाद लिया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने अपना बयान दिया है जैसा कि उन्होंने सुना था जबकि दीपा रानी विजय कुमार भगत से टेलीफोन पर बात करती थीं। वह विजय कुमार भगत के कर्मचारी हैं। जब विजय कुमार भगत ने डाकघर से पैसे निकाले तो वह उनके साथ नहीं थे। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि आरोपी को 06.03.2006 को कोई पैसा नहीं दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि पूजा कक्ष में हमला देखा गया और कहीं भी खून नहीं देखा गया। उन्होंने पूजा कक्ष में कोई

टूटी हुई चूड़ियाँ नहीं देखीं। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने विजय भगत के अपने कर्मचारी होने की मिलीभगत से गलत बयान दिया है।

16. अभि. सा. 5 सुष्मिता देवी एक स्वतंत्र गवाह हैं। उसने अपने मुख्य जाँच अधिकारी में कहा है कि यह घटना सितंबर, 2009 के महीने में हुई थी। राजीव रंजन का विवाह जूली देवी से हुआ था जिनकी मृत्यु हो गई थी। वह नहीं जानती कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। उसने आगे कहा है कि उसने एस. आई. द्वारा तैयार की गई जाँच रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर किया है। उसने राजीव रंजन की पहचान करने का दावा किया है।

16.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि राजीव रंजन और उसकी पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। राजीव रंजन अपने माता-पिता और भाइयों के साथ रहते थे। पुलिस ने उससे कभी पूछताछ नहीं की।

17. अभि. सा. 6 जितेंद्र सिंह भी एक स्वतंत्र गवाह हैं। उसने बयान दिया है कि वह आरोपी राजीव रंजन को जानता है जो उसके इलाके से है। उनकी शादी दीपा रानी से हुई थी। उनसे उनका एक बच्चा भी था। दीपा रानी की मृत्यु खजेकला में हुई।

17.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि राजीव रंजन अपने माता-पिता और भाइयों से अलग थे। 2007 में विभाजन हुआ था। पुलिस ने उससे कभी पूछताछ नहीं की।

18. अभि. सा. 7 शंकर प्रसाद चौरसिया भी एक स्वतंत्र गवाह हैं। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। उसने अपने जाँच प्रमुख में कहा है कि उसने पुलिस के सामने बयान नहीं दिया था। वह आरोपी राजीव रंजन को जानता है जिसकी शादी दीपा रानी से हुई थी। यह जोड़ी साथ रहती थी। उन्हें उनके बीच किसी भी अंतर के बारे में पता नहीं है। दीपा रानी मर चुकी हैं। उनके बीच कुछ

घटना हुई थी लेकिन उन्हें वास्तविक घटना का पता नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि राजीव रंजन अपने भाइयों से अलग रहते थे।

18.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि राजीव रंजन घटना से पहले अपने माता-पिता और भाइयों से अलग हो गए थे। उसने यह भी कहा है कि आरोपी के अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध थे। उन्होंने तिलक-दहेज आदि की मांग के बारे में नहीं सुना था। पुलिस ने कभी उसका बयान नहीं लिया था। स्थानीय लोगों ने कहा कि उसने खुद आत्महत्या की है।

19. पी. डब्ल्यू. 8 शिव नारायण प्रसाद ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है। उन्होंने अपने जाँच प्रमुख में कहा है कि उन्होंने दीपिका रानी के जंच प्रतिवेदन जो एस. आइ. द्वर तैयार किया गया था, पर अपना हस्ताक्षर किये हैं उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया है कि दीपिका रानी और राजीव रंजन में अक्सर झगड़ा होता था

19.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि यह सच है कि राजीव रंजन की पत्नी दीपिका रानी ने एक बार संपत्ति के बंटवारे के लिए अपने शरीर पर तेल छिड़ककर खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। उन्होंने आधा सच कहने के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है।

19.2. बचाव पक्ष की ओर से अपनी जिरह में उसने कहा है कि आरोपी अपने माता-पिता और भाइयों से अलग रहता है। यह मामला दायर करने से पहले अभियुक्त व्यक्तियों के बीच विभाजन हुआ था जिसमें वह एक मध्यस्थ भी थे। उसने पति-पत्नी के बीच कोई लड़ाई नहीं देखी थी। उन्होंने आगे कहा है कि मृतक का आरोपी से एक बच्चा था जो उसके मायके में है। उन्होंने किसी भी पहलू को छिपाने के सुझाव से इनकार किया है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि आरोपी ने तिलक या दहेज की कोई मांग की थी।

20. पी. डब्ल्यू. 9 सुनीता देवी ने अपने जाँच-प्रमुख में बयान दिया है कि सुचना देने वाले श्री विजय कुमार भगत उनके पति हैं। उनकी बेटी दीपा देवी (मृतक) की शादी 23 नवंबर, 2005 को आरोपी राजीव रंजन से हुई थी। वह दस दिनों तक अपने ससुराल में आरोपी के साथ शांति से रहती थी, लेकिन उसके बाद आरोपी ने दीपा से रुपये 2,00,000 की मांग की और उसे वापस भेज दिया। दिसंबर, 2006 में रु। 1,00,000-रितेश और आरिफ की उपस्थिति में आरोपी को उसकी साली के माध्यम से नकद में भुगतान किया गया था जो आरोपी को संतुष्ट नहीं करता था। 16 दिसंबर, 2009 को 08:30 बजे अपराहन में, राजीव रंजन ने उसके पति को टेलीफोन पर सूचित किया कि दीपा ने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर उनके पति श्रीकांत सिंह, मन्नू सिंह, रामग्या यादव, संतोष कुमार, राजू भगत, संजय कुमार, रितेश कुमार और आरिफ हुसैन रात 11 बजे दीपा के ससुराल पहुंचे। उन्होंने देखा कि दीपा की एक चप्पल दरवाजे पर और दूसरी सीढ़ियों पर पड़ी थी। उनका शव अलमारी (पूजा स्थल) के नीचे पड़ा हुआ था। उनके दामाद के अलावा घर में परिवार का कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। दीपा के गले पर निशान था। दीपा की टूटी हुई चूड़ियाँ बिस्तर के नीचे पाई गईं। पुलिस आ चुकी थी और कागजी कार्रवाई कर ली थी। घटना के अगले दिन सुबह उसके पति ने मामला दर्ज कराया। शव को *पोस्टमार्टम* के लिए भेज दिया गया। उसका दावा है कि उसकी बेटी की हत्या आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई थी क्योंकि आरोपी राजीव रंजन दहेज का लालची था, वह गोरे रंग की लड़की से शादी करना चाहता था और दूसरे लड़की के साथ अवैध संबंध रखता था। उसने यह भी कहा है कि उसका बयान पुलिस ने दर्ज किया था। वे अभियुक्त राजीव रंजन, जो अदालत में उपस्थित है और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान करने का दावा करता है।

20.1. अपनी जिरह में, उसने कहा है कि वह मामला दर्ज करने का सही समय नहीं बता सकती है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दीपा के ससुराल का

पंजीकृत मालिक कौन है। वह केवल यह जानती है कि उसके ससुराल वालों का घर विभाजित है। उसने आगे कहा है कि जब भी वह अपनी बेटी को देखने जाती थी, तो वह परिवार के अन्य सदस्यों से भी बात करती थी। हालाँकि उसकी बेटी ससुराल वालों पर दहेज की माँग करने का आरोप लगाती थी, लेकिन ससुराल वाले उससे ऐसी कोई माँग नहीं करते थे। उन्होंने पैरा-10 में कहा है कि दीपा के बेटे का जन्मदिन 6 सितंबर, 2009 को मनाया गया था जिसमें वह, उनके पति, उनके बेटे रितेश, बहू गायत्री देवी, छोटी बेटी पूजा रानी भाग लेने गए थे। दीपा ने खुद पार्टी की व्यवस्था की थी क्योंकि आरोपी व्यक्ति जन्मदिन मनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि राजीव रंजन ने इस अवसर पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसकी उपस्थिति में उसके पति और आरोपी के बीच पैसे का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ। उसने आगे कहा है कि आरोपी बच्चे की अभिरक्षा चाहता था, लेकिन अभियोजन पक्ष बच्चे की अभिरक्षा सौंपने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें आशंका है कि वे (आरोपी) बच्चे को मार देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में भाग लिया था। उसने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ताला तोड़ दिया और गहने और अन्य घरेलू सामान अपने साथ ले गए। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनके पति, शंकर चौरसिया के साथ साजिश रचते हुए, आरोपी और उसके माता-पिता पर संपत्ति को दीपा के बेटे या शंकर चौरसिया की बेटी डेज़ी को हस्तांतरित करने का दबाव बना रहे थे। उसने आरोपी की संपत्ति हड़पने के इरादे से झूठी गवाही देने से भी इनकार किया है।

21. पी. डब्ल्यू. 10 डॉ. अशोक कुमार यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि सितंबर, 2009 को उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना में फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर के रूप में तैनात किया गया था और उन्होंने 11:30 बजे पूर्वाह्न में राजीव रंजन की पत्नी दीपा रानी का *पोस्टमार्टम* एन.एम.सि.एच. के मुर्दघर में किया था।

सिपाही संख्या 5214 दीनानाथ राम द्वारा शव लाया गया था। पोस्टमॉर्टम जाँच के दौरान निम्नलिखित चोटें देखी गई -

रिगोर मोर्टिस सकारात्मक था, चेहरा लाल था, आंखें भरी हुई थीं और (अस्पष्ट) और होंठ (अस्पष्ट) था।

13" लंबा और 1/2" x1 "चौड़ा एक बंधन चिह्न गर्दन को घेरते हुए पाया गया।

लिगेचर मार्क गर्दन के सामने थायरॉयड उपास्थि के ठीक ऊपर, गर्दन के दाईं ओर दाहिने कान के नीचे 1/2" नीचे, गर्दन के बाईं ओर बाएं कान के नीचे 2.5" नीचे और बाहरी (अस्पष्ट) से 1.5" नीचे था।

लिगेचर का निशान गर्दन के सामने की ओर अधिक स्पष्ट था तथा गर्दन के पीछे की ओर कम स्पष्ट था।

आंतरिक जांच में, बंधन चिह्न के ऊपर और नीचे का अंतर्निहित क्षेत्र भीड़भाड़ वाला पाया गया।

ऊपर उल्लिखित बंधन चिह्न पूर्व-मृत्यु गंभीर और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में जीवन के लिए खतरनाक था और बंधन के दबाव के कारण होता था।

मृत्यु का कारण- गर्दन पर दबाव के कारण दम घुटना। पी. एम. परीक्षा के समय से 12 से 24 घंटे के भीतर मृत्यु का समय। पी. एम. रिपोर्ट उनकी कलम और हस्ताक्षर में है। (प्रदर्श 1)

21.1. अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने कहा है कि गर्दन पर लिगेचर का निशान पाया गया था जो गर्दन में साड़ी लपेटकर आत्महत्या करने के कारण हो सकता है। उसे शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं मिली थी। जीभ बाहर निकल रही थी, आँखें उस जगह पर थीं और बाहर नहीं निकल रही थीं। आग लगने से कोई नुकसान नहीं हुआ। मौत का कारण दम घुटना था। झाग निकलने का कोई संकेत नहीं था।

22. अभि. सा. 11 विजय कुमार भगत ने अपने जाँच-इन-चीफ में बयान दिया है कि वह इस मामले के सुचक हैं और लिखित शिकायत उनकी कलम और हस्ताक्षर में है जिसकी वे पहचान करते हैं। (प्रदर्श 2) मृत दीपा रानी उनकी बेटी थीं। उन्होंने उसकी बेटी की शादी 23 नवंबर, 2005 को हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार राजीव रंजन से कराई थी उन्होंने अपनी बेटी को 13 भ्रर सोना, बिजली का उपकरण, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कूलर आदि दीया था। उनकी बेटी अपने ससुराल गई और

वहाँ खुशी-खुशी 15-20 दिन रही। इसके बाद आरोपी लोगों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सभी आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् लक्ष्मण राम (ससुर), तारा देवी (सास), राजीव रंजन (पति) और रवि रंजन ने रुपये दहेज की मांग करना शुरू कर दिया और मांग को पूरा नहीं करने की स्थिति में उसे जान से मारने की धमकी दी उनकी बेटी उन्हें इस बारे में बताती थी। शादी के 20 दिनों के बाद, वे उसे वापस उसके घर ले गए और 2,00,000/- रुपये का भुगतान किए बिना वापस नहीं आने की धमकी दी। उन्होंने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और आरोपी के साथ बातचीत की। 5-6 दिनों के बाद, वह 1,00,000/- रुपये उधार लेने में कामयाब रहा, अपने दोस्त मनु सिंह और श्रीकांत सिंह के साथ आरोपी के घर गया और परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति में राजीव रंजन को राशि सौंप दी वह अपनी बेटी के साथ गया था और लक्ष्मण राम, तारा देवी और रवि रंजन से अपनी बेटी को अपने साथ रखने का अनुरोध किया था और उन्होंने उसे सम्मान के साथ रखने का वादा किया था। उनकी बेटी वहाँ दो महीने तक खुशी-खुशी रही। फिर से आरोपी व्यक्तियों ने 1,00,000/- रुपये की मांग करना शुरू कर दिया. और उसे प्रताड़ित किया। 6 मार्च, 2006 को उनका बेटा रितेश कुमार और आरिफ हुसैन (कर्मचारी) के साथ ससुराल गया और Rs.50,000/- राजीव रंजन को उनके माता-पिता की उपस्थिति में भुगतान किया। इसके बाद कुछ दिनों तक आरोपी ने उनकी बेटी को गरिमा के साथ रखा। पुनः अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और जुलाई, 2006 में उसकी बेटी को उसके घर ले आए। उस समय उनकी बेटी गर्भवती थी। 06.09.2006 को उसने अपने बेटे को जन्म दिया। इलाज और प्रसव का पूरा खर्च उन्होंने वहन किया। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं आया। उनके बेटे रितेश की शादी 28.01.2007 को हुई थी, जिस अवसर पर आरोपी ने अपनी बेटी को अपने घर नहीं आने दिया और शर्त रखी कि वह केवल तभी जा सकती है जब सोने की चेन और सोने की अंगूठी दी जाए। वह मांग के तीन-चार

दिन बाद गया और मांग को पूरा किया और उसके बाद ही उन्होंने उसकी बेटी को उसके साथ भेज दिया। उक्त शादी के चार दिन बाद, वह अपने ससुराल वापस चली गई। 06.09.2009 को, उनकी बेटी ने डायल किया था और अपने भाई के पोते को जन्मदिन की बधाई दी थी। उस समय उसने यह भी बताया कि आरोपी व्यक्ति उसे प्रताड़ित कर रहे थे। उसी दिन, 08:30 बजे अपराहन में राजीव रंजन ने उन्हें अपने मोबाइल पर सूचित किया कि दीपा रानी ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर वह बेहोश हो गया। वह मनु सिंह, श्रीकांत सिंह, उनके भतीजे संतोष और संजय, उनके बेटे रितेश, राम, आग्या यादव, आरिफ हुसैन आदि के साथ अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। वे दूसरी मंजिल पर गये एवम् पता चला कि उसकी बेटी बरामदे में मृत पड़ी थी। राजीव रंजन के अलावा ससुराल का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। उनकी बेटी ने साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने गर्दन पर एक काला निशान भी देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे गर्दन में तार बांधकर और उसे खींचकर उसकी हत्या कर दी गई हो। जीभ बाहर नहीं निकल रही थी। उनके सहयोगियों ने इस बात पर गहरा संदेह व्यक्त किया कि उनकी बेटी की हत्या आरोपी ने की है। जब पुलिस आई तो उसने पुलिस को सब कुछ बताया और लिखित शिकायत दी। शव का *पंचनामा* तैयार किया गया था। वह वहाँ से पुलिस स्टेशन गया। शव को *पोस्टमार्टम* के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने उससे फिर पूछताछ की थी, लेकिन उस दिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया था। उसने अदालत में मौजूद आरोपी राजीव रंजन की पहचान कर ली है। वह आगे कहता है कि राजीव रंजन ने दूसरी शादी कर ली है और उसने दुल्हन की गर्दन का गला घोटकर उसे मारने की भी कोशिश की, लेकिन उसके द्वारा शोर मचाने पर, स्थानीय निवासी उसे फटकार लगाते हैं, जिसके बारे में अदालत में एक मामला लंबित है। उसके पास उस मामले का एफ. आई. आर. है जिस पर मामला सं. 713/13 है। उन्होंने अगली तारीख को कागज को रिकॉर्ड पर लाने का वादा किया।

22.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि वह पुलिस स्टेशन नहीं गया था क्योंकि वह अपनी बेटी के शव को देखकर बेहोश हो गया था। पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। पुलिस द्वारा की गई औपचारिकताओं के बाद अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में केवल उनके दामाद ने भाग लिया था। उसके दामाद के परिवार के अन्य सदस्य फरार थे। पुलिस ने डिप्टी एस. पी. के कार्यालय में उनका बयान दर्ज किया था। जबकि आई. ओ. उनके घर गए थे। वह फिर कहता है कि जाँच अधिकारी ने उससे और उसकी पत्नी से उसके अपने घर पर पूछताछ की थी और उसके बाद उन्हें डिप्टी एस. पी. के पास लाया गया था। एस. पी. ने कुछ तस्वीरों की पहचान प्रदर्श 1 एवम 1/ए के रूप में की है। वह हमेशा आरोपी के घर में एक रेफ्रिजरेटर देखता था, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि यह किस दुकान से खरीदा गया था क्योंकि उसने केवल उसे खरीदने के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने दो बार बड़ी राशि दी थी, एक बार दिसंबर, 2005 में और फिर 6 मार्च, 2006 को रु 50, 000/-। वह अपने बेटे और मोहम्मद के साथ पैसे देने गया था। आरिफ हुसैन (कर्मचारी)। पहली बार अकेला गया था। वह अपने दामाद को तीर्थयात्रा पर ले गया था, एक बार बिंध्याचल और दूसरी बार देवघर। वह अपनी बेटी की मृत्यु से लगभग डेढ़-दो साल पहले उसे देवघर ले गया था। उसे याद नहीं है कि वह उसकी बेटी के बेटे के जन्म से पहले था या बाद में। इसके अलावा, उन्होंने वर्ष 2007 की कुछ तस्वीरों की पहचान प्रदर्श 1/बी एवम प्रदर्श 1/सी के रूप में की है। 1/बी और 1/सी जिसमें वह, उसका दामाद, उसकी बेटी, उसका पोता, पोती और उसकी पत्नी के साथ-साथ उसके बेटे की पत्नी भी होती है। उनके पोते (नाती) का जन्मदिन 6 सितंबर, 2009 को, उनकी बेटी की मृत्यु से लगभग 10 दिन पहले, जिसमें वह, उनकी पत्नी, उनका बेटा रितेश, उनके बेटे की पत्नी मध्वी, पोती बंशिका भाग लेने गए थे। उन्होंने कुछ अन्य तस्वीरों की पहचान प्रदर्श 1/डी से 1/जी के रूप में भी की है। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि वे माननीय उच्च

न्यायालय में उनके खिलाफ दायर मामले दुरुपयोग किया है। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने अमित कुमार का अपहरण किया और कहा है कि वह उसकी सुरक्षित हिरासत में है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि वह अमित कुमार को अपने पिता और दादा-दादी एवम् नाना नानी से बात करने की अनुमति नहीं देते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उनकी बेटी ने अपनी शादी से लेकर अपनी मृत्यु तक आरोपी पक्ष के किसी भी परिवार के सदस्य के खिलाफ कभी कोई लिखित या मौखिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। उन्होंने अपनी बेटी द्वारा दूसरी बार टेलीफोन पर दी गई जानकारी के आधार पर बयान दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के मोबाइल का सी. डी. आर. नहीं लिया है। उन्होंने आगे कहा है कि 16.09.2009 की घटना उनकी उपस्थिति में नहीं हुई थी। घटना के बाद वह पहुंच गया था। राजीव रंजन ने खुद उन्हें इस घटना की जानकारी दी थी। उन्होंने गलत बयान देने से इनकार किया है और कहा है कि उनके दामाद किसान विकास पत्र खरीदते थे, जो कभी-कभी ₹ 10,000/- का होता था, एवम् दूसरा 20,000/- का। उन्होंने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाने से भी इनकार किया है। उन्होंने तस्वीर की पहचान की है। जिसमें हाथ उनके दामाद के कंधे पर है। प्रदर्श 1/एल) है उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया है कि डिप्टी एस.पी. के लिपी पर वे झुठा बयान दीये हैं

23. बचाव सा०-1 पंकज कुमार ने बयान दिया है कि वह दिनांक 16.09.2009 को 7.30 बजे शाम में राजीव रंजन की आभूषण की दुकान पर गया था। उसी समय एक महिला राजीव रंजन के बेटे को गोद में लेकर आई और उसे बताया कि वह बेटे को उसके घर ले गई है, लेकिन बच्चे को लेने के लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। यह कहते हुए उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया। इस पर राजीव रंजन ने शटर बंद कर दिया और अपने बच्चे को लेकर अपने घर की ओर बढ़ गए। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ राजीव रंजन का भी अनुसरण किया। जब जोर से धक्का देकर दरवाजा

नहीं खोला जा सका, तो राजीव रंजन ने पुलिस स्टेशन को सूचित किया और पुलिस वहां आई। वह वहाँ उपस्थित थे। वह अन्य लोगों के साथ पुलिस का पीछा करते हुए घर के अंदर गया और देखा कि राजीव रंजन की पत्नी बरामदे के पंखे से लटकी हुई थी। डीप्टी एस. पी. के निर्देश पर शरीर को नीचे लाया गया। इस दौरान राजीव रंजन के परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था और न ही राजीव रंजन के ससुराल का कोई सदस्य वहां पहुंचा था।

23.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्होंने राजीव रंजन या उनकी पत्नी के परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा है। उन्होंने राजीव रंजन के अनुरोध पर गवाही दी थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि दीपा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी कारण से उनकी हत्या की गई थी। उसने आगे कहा है कि वह शाम 7.40 बजे शाम में राजीव रंजन के घर गये थे और रात 8 बजे वहाँ से चला गया था। उसकी उपस्थिति में पंचनामा नहीं किया गया था।

24. बचाव सा०- 2 प्रमोद कुमार ने अपने जाँच प्रमुख में कहा है कि वह दोनों पक्षों से परिचित हैं। घटना 16.09.2009 की है। वह अपनी गहने की दुकान पर था। राजीव रंजन भी अपनी ही दुकान पर थे। उसकी पत्नी उसके लिए दोपहर का भोजन लाई, बच्चे को दुकान पर रखा और एक टैंपो में वापस चली गई। राजीव रंजन ने अपने बच्चे को एक महिला के साथ अपने घर भेजा जो बच्चे के साथ लौटी और बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था और कई बार जोरदार दस्तक देने के बावजूद नहीं खोला गया था। पुलिस आई और दरवाजा तोड़ा। वह घर लौट आया। उन्होंने कभी भी दंपति को आपस में झगड़ते नहीं देखा था। उस दिन भी उनका व्यवहार सामान्य था।

24.1. अपनी जिरह में, उन्होंने कहा है कि राजीव की शादी घटना से दस साल पहले हुई थी। उन्होंने आगे कहा है कि वह विद्वान वकील (अस्पष्ट) कुमार के अनुरोध पर गवाही देने आए हैं। वह जानता है कि राजीव की पत्नी की कथित हत्या के

लिए राजीव और उसके माता-पिता के खिलाफ मामला चल रहा है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि आरोपी के परिवार ने दहेज के लिए हत्या की है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने राजीव रंजन को मामले से बचाने के लिए गलत बयान दिया है।

25. बचाव सा० 3 मोहन कुमार ने अभी-अभी बचाव सा० 2 के संस्करण की पुष्टि की है और इसमें कोई सामग्री नहीं जोड़ी है।

26. बचाव सा० 4 राजीव रंजन स्वयं अपीलार्थी हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी शादी के समय कोई मांग नहीं की थी। उसने गहने और घरेलू सामान खरीदे थे। उसने अपनी पत्नी के नाम पर किसान विकास पत्र भी लिए थे। उन्होंने रुपये 35000/ के किसान विकास पत्र लिए हैं। जिस पर पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर के साथ (प्रदर्श X)। उन्होंने किशत (प्रदर्श X/7) पर रेफ्रिजरेटर भी खरीदा था। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें अपने किसी भी ससुराल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उनकी पत्नी दीपा रानी को अपनी सौतेली माँ के नाम पर जमा किए गए कुछ पैसे के बारे में कुछ समस्या थी। उसने यह भी कहा है कि शादी के बाद भी उसकी पत्नी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वह परीक्षा के समय बच्चे को रखने के लिए उसके साथ परीक्षा केंद्र जाता था। उन्होंने प्रवेश पत्र (प्रदर्श 1) भी दायर किया है। उसने आगे कहा है कि घटना की तारीख को, यानी 16.09.2009 पर, वह अपनी दुकान पर था। उसकी पत्नी दोपहर का भोजन लेकर आई, बच्चे को दुकान पर छोड़ दिया और यह कहते हुए चली गई कि वह उसकी सौतेली माँ से मिलने जा रही है। उसकी माँ 10-15 मिनट की दूरी पर रहती है। जब वह वापस नहीं आई, तो उसने बच्चे को अनीता देवी के पास भेज दिया, जो बगल की एक दुकानदार है। वह बच्चे के साथ लौटी और कहा कि दरवाजा बंद था। फिर वह खुद 2-3 लोगों के साथ अपने घर गया और देखा कि मुख्य द्वार अंदर से बंद है। उसने फोन पर पुलिस को सूचना दी। 08:20 बजे शाम को पुलिस

आई। दारोगा जी ने दरवाजा तोड़ा, महिला सिपाही के साथ अंदर गए और देखा कि उनकी पत्नी अपनी साड़ी की मदद से लटकी हुई है। उन्होंने अपने ससुर विजय यादव को दुर्घटना की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पत्नी का अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार दोनों किए जिसमें उनके ससुर, उनके भाई, दोस्त और कर्मचारी सभी ने भाग लिया। उसी अवसर पर उनके ससुर बच्चे को अपने साथ ले गए थे। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद, उन्होंने बच्चे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके ससुर ने उन्हें बात करने की अनुमति नहीं दी और अपने बच्चे के नाम पर संपत्ति हस्तांतरित करने की पूर्व शर्त रखी।

26.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि वह अपने ससुर द्वारा उसके और उसके माता-पिता के खिलाफ दर्ज किए गए इस मामले का आरोपी है उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि उसने नवंबर में आत्मसमर्पण कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर 16 महीने बाद उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया था। अपनी आगे की जिरह में, उसने कहा है कि पुलिस रात 8.20 बजे रात्रि में उसके घर पहुंची थी और मुखबिर विजय कुमार रात 12.30 बजे पहुंचा था, न कि 11 बजे। पुलिस पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। जाँच रिपोर्ट उनकी उपस्थिति में तैयार की गई थी, लेकिन उन्हें उससे गुजरने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि शव फर्श पर पड़ा था। उसने मृतक का गला घोटकर उसकी हत्या करने के आरोप से इनकार किया है और कहा है कि उसने गलत बयान दिया है।

27. बचाव सा० 5 तेज नारायण मिश्रा ने भी बचाव सा० 2 के संस्करण का समर्थन किया है। उन्होंने एक तस्वीर की भी पहचान की है जिस पर (प्रदर्श बी) निशान था। उसने यह भी कहा है कि वह पिछले मामले में गवाह था।

27.1. अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्हें राजीव रंजन ने गवाही देने के

लिए बुलाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि राजीव रंजन की दूसरी पत्नी ने भी उनके खिलाफ यह आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है कि वह उन्हें अपने साथ नहीं रख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें वह तारीख याद नहीं है जिस दिन राजीव रंजन की पत्नी की मृत्यु हुई थी। वह उस स्थान पर नहीं गए थे उसका शव पड़ा हुआ था क्योंकि पुलिस ने उसे वहाँ जाने से मना कर दिया था।

28. बचाव सा० 6 अनीता देवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना 2009 में हुई थी। वह अपनी दुकान पर थी। राजीव रंजन की दुकान उनकी दुकान के उत्तर में स्थित है। हमेशा की तरह, राजीव रंजन की पत्नी दीपा रानी उनके लिए दोपहर का भोजन लेकर आईं। 2.5-3 वर्ष का बच्चा भी उसके साथ था। उस दिन वह बच्चे को दुकान पर छोड़कर लौटी। राजीव रंजन के अनुरोध पर जब अभिसाक्षी उनके घर गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। अंत में, वह राजीव रंजन के पास वापस आईं, उसे सब कुछ बताया और बच्चे को उसे सौंप दिया। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर, उसने पुलिस को बताया कि वह राजीव रंजन के घर उसके बच्चे के साथ गई थी, लेकिन जब कई बार खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला गया, तो वह लौट आईं और बच्चे को राजीव रंजन को सौंप दिया। उसने आगे कहा है कि उसने अदालत में जो कुछ भी बयान दिया है, उसने पुलिस के सामने भी कहा था। उन्होंने आगे कहा है कि दीपा रानी ने उन्हें कभी भी पति के साथ किसी भी मतभेद के बारे में नहीं बताया। उसने यह भी कहा है कि दंपति को छोड़कर परिवार का कोई अन्य सदस्य घर में नहीं रह रहा था।

28.1. अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसे आरोपी द्वारा गवाही देने के लिए लाया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह 2007 से राजीव रंजन को जानती हैं। उसने आगे कहा है कि पुलिस ने घटना के एक दिन बाद उसकी दुकान पर उसका

बयान दर्ज किया था। उन्हें पता है कि राजीव रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने राजीव रंजन के निर्देश पर गवाही देने के सुझाव से इनकार किया है कि वह बच्चे के साथ उसके घर गई और दरवाजा बंद पाया। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होंने राजीव रंजन को बचाने के लिए गलत बयान दिया है।

29. हमने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना की है और अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रदान किए गए अभियोजन-गवाहों के बयानों की टाइप की गई प्रति का अध्ययन किया है।

30. अभिलेख से यह पता चलता है कि सूचक जो मृतक के पिता हैं दिनांक 17.09.2009 को करीब 02:00 बजे अपराह्न में आरोपित घटना जो 16.09.2009 को लगभग 08:30 बजे अपराह्न में हुआ था एक लिखित शिकायत दी है। यह आगे स्पष्ट होता है कि लिखित शिकायत में मुखबिर ने विशेष रूप से कहा है कि घटना की तारीख से एक दिन पहले, उसकी बेटी ने उसे फोन किया और उसके पोते को जन्मदिन की बधाई दी। इस प्रकार, लिखित शिकायत में ही किए गए उक्त कथन से यह नहीं कहा जा सकता है कि मृतक द्वारा उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले मृतक के साथ क्रूरता की गई थी। मुखबिर/अभि. सा. 11 के बयान से आगे यह पता चलता है कि, पहली बार, उक्त गवाह ने अदालत के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण में गवाही दी है कि उसकी बेटी ने उसे दहेज के भुगतान के संबंध में उसके साथ हुई क्रूरता के बारे में सूचित किया और उसने उसी के बारे में बताया जब उसने घटना की तारीख से एक दिन पहले फोन किया और उसके पोते को बधाई दी और जन्मदिन की बधाई दी। इस प्रकार, यह पता चलता है कि सूचक अभि. सा.- 11 के संस्करण में सुधार हुआ है। लिखित शिकायत से यह भी पता चलता है कि सूचनादाता द्वारा एक रेफ्रिजरेटर की मांग अभियुक्तों द्वारा की गई थी। हालांकि, बचाव पक्ष के गवाहों के बयान और बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए बिल से, जो प्रदर्शित किया गया है, यह पता चलता है कि

रेफ्रिजरेटर अपीलार्थी द्वारा खरीदा गया था। यह अभि. सा. 11 के बयान से और विशेष रूप से जांच प्रमुख से यह भी पता चलता है कि शादी के समय सूचक ने अपनी बेटी को सोना, बिजली के उपकरण, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कूलर आदि दिए थे। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि यदि रेफ्रिजरेटर नवंबर, 2005 में दिया गया था, तो 2009 में (चार साल के भीतर) फिर से रेफ्रिजरेटर की मांग का कोई सवाल ही नहीं था। इस प्रकार सूचक के बयान में प्रमुख विरोधाभास, विसंगतियां और सुधार हैं।

30.1. यह भी पता चला है कि शुरू में पुलिस ने घटना के संबंध में सूचक से पूछताछ की थी। हालाँकि, उस समय एफ. आई. आर. पंजीकृत नहीं था और न ही उसका *फरदबेयान* दर्ज किया गया था। अगले दिन, अंतिम संस्कार के बाद, सूचक द्वारा लिखित शिकायत दी गई। इस स्तर पर, यह भी देखा जाना आवश्यक है कि अभियोजन-गवाहों के बयान से यह पता चलता है कि दहेज की तथाकथित मांग वर्ष 2006 में और उसके बाद जनवरी, 2007 में की गई थी। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि ऐसी मांग मृतक की मृत्यु से तुरंत पहले की गई थी

31. यह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से आगे पता चलेगा कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 8 मुकर गए हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7, जो स्वतंत्र गवाह हैं, ने विशेष रूप से न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि अपीलार्थी का अपनी पत्नी (मृत) के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था।

32. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ वाद को प्रमाणित करने हेतु, पी. डब्ल्यू. 3 रितेश कुमार, जो मृतक के भाई हैं पी. डब्ल्यू. 4, जो एक कर्मचारी हैं, पी. डब्ल्यू 11, सूचनादाता, पी. डब्ल्यू 9 सुनिता देवी, मृतक की माँ एवं पी. डब्ल्यू 11, विजय कुमार भगत, जो मृतक के पिता एवं सूचनादाता हैं, सभी का परीक्षण किया।

33. हम उपरोक्त गवाहों के बयानों को देख चुके हैं। हालाँकि, उनके बयानों में बड़े विरोधाभास, विसंगतियाँ और सुधार हैं और उक्त गवाहों को उत्कृष्ट गवाह नहीं कहा जा सकता है।

33.1. इस स्तर पर यह ध्यान देना उचित है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष जांच करने वाले अधिकारी से पूछताछ करने में विफल रहा है। एफ. आई. आर. का भी प्रदर्शन नहीं किया गया है। यह अपीलार्थी/बचाव पक्ष का विशिष्ट मामला है कि जाँच अधिकारी से पूछताछ न करने के कारण उसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। हमने इसके ऊपर यह भी देखा है कि सूचक ने अपना मुख्य परीक्षण देते हुए अदालत के समक्ष अपने बयान में सुधार किया है और पहली बार कुछ पहलू बताए हैं जो उसने लिखित शिकायत में नहीं लिखे हैं। इसके अलावा, सभी स्वतंत्र गवाहों यानी अभि. सा.5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 ने विशेष रूप से बयान दिया है कि उनके बयान जांच अधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किए गए हैं और वास्तव में, अपीलार्थी और मृतक पत्नी के बीच संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण थे। इसके अलावा, बचाव पक्ष के गवाहों ने यह बयान भी अपने कथन में दिया है कि उनका बयान जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया हालाँकि, अभियोजन पक्ष कथित गवाहों से अभियोजन-गवाह के रूप में पूछताछ करने में विफल रहा है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जांच अधिकारी से पूछताछ न करने के कारण, अपीलार्थी ने जिरह करने का अवसर खो दिया। इसलिए, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, बचाव पक्ष यानी अपीलार्थी के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया है।

34. अब, हम अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय की जांच करना चाहेंगे। अपीलार्थी के विद्वान वकील **लाहू कमलाकर पाटिल (ऊपर)** द्वारा उद्धृत निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 18 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“18. कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पीडब्लू 1

की गवाही की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने एफ. आई. आर. में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है लेकिन बहाना दिया है कि यह एक खाली कागज पर लिया गया था। यही बात जाँच अधिकारी द्वारा स्पष्ट की जा सकती थी, लेकिन किसी कारण से जाँच अधिकारी से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जांच अधिकारी से पूछताछ न करना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है। *बिहारी प्रसाद बनाम बिहार राज्य* [(1996) 2 एस. सी. सी. 317:1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 271] में, इस न्यायालय ने कहा है कि जांच अधिकारी से पूछताछ न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है, विशेष रूप से जब आरोपी को कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है। *बहादुर नाइक बनाम बिहार राज्य* [(2000) 9 एस. सी. सी. 153 : 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1186] में यह राय दी गई है कि जब कोई भौतिक विरोधाभास सामने नहीं आया है, तो अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच अधिकारी से पूछताछ न करने का कोई परिणाम नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में, आरोपी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो निचली अदालत के न्यायाधीश ने और न ही उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी से पूछताछ न करने के मुद्दे पर गौर किया है। अभिलेख पर लाई गई पूरी सामग्री के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वर्तमान मामला ऐसा है जहां हम ऐसा सोचने के लिए इच्छुक हैं, विशेष रूप से जब सूचक ने कहा है कि हस्ताक्षर तब लिए गए थे जब वह नशे की हालत में था, पंच गवाह मुकर गया था और अदालत में पेश किए गए कुछ सबूत संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में जगह नहीं पाते थे। इस प्रकार, इस न्यायालय ने *अरविंद सिंह बनाम बिहार राज्य* [(2001) 6 एस. सी. सी. 407 : 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1148], *रतनलाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य* [(2007) 13 एस. सी. सी. 18: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 349] और *रविश्वर मांझी बनाम झारखंड राज्य* [(2008) 16 एस. सी. सी. 561: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 50] में कुछ

परिस्थितियों की व्याख्या की है जहां जांच अधिकारी की परीक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि वर्तमान मामला वह है जिसमें जांच अधिकारी से पूछताछ की जानी चाहिए थी और उसकी गैर-जांच अभियोजन पक्ष के मामले में एक कमी पैदा करती है। "

35. उपरोक्त निर्णय से, यह कहा जा सकता है कि जांच अधिकारी से पूछताछ न करना अभियोजन-मामले के लिए घातक नहीं है, विशेष रूप से जब अभियुक्त द्वारा कोई पूर्वाग्रह से अभियुक्त को पीड़ित किया। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में उपरोक्त साक्ष्य से हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में जांच अधिकारी से पूछताछ की जानी चाहिए थी और उसकी गैर-जांच अभियोजन पक्ष के मामले में एक कमी पैदा करती है।

36. इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए उपरोक्त अवलोकन से, यह कहा जा सकता है कि आई. पी. सी. की धारा-304 बी के तहत दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्व यह हैं कि अभियुक्त ने महिला की मृत्यु से तुरंत पहले दहेज की मांग के संबंध में महिला क्रूरता का शिकार होना चाहिए और इस घटक को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित करना होगा और तभी न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा-113 बी के तहत यह मान लेगा कि अभियुक्त ने दहेज मृत्यु का अपराध किया है।

37. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलकर्ता ने मृतका की मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी।

38. अपीलार्थी द्वारा जांचे गए बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पता चलता है कि अपीलार्थी के अपनी पत्नी (मृतक) के साथ अच्छे संबंध थे। तस्वीरें जो प्रस्तुत एवं प्रदर्शित किए जाते हैं, उक्त पहलू को

प्रकट किया जा सकता है। अपीलार्थी ने अपनी पत्नी के नाम पर किसान विकास पत्र भी खरीदे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया और उन्हें हर तरह का समर्थन दिया।

39. इस प्रकार, अभियोजन-गवाहों के उपरोक्त बयान से, हमारा विचार है कि अभियोजन-गवाहों के बयान में बड़े विरोधाभास, विसंगतियां और सुधार हैं।

40. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद निचली अदालत ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश का विवादित निर्णय दर्ज किया है। इस प्रकार, उन्हें रद्द करने और दरकिनार करने की आवश्यकता है।

41. तदनुसार, 2011 के सत्र परीक्षण संख्या 403 में (2009 के खजेकला पी. एस. मामले संख्या 203 से उत्पन्न) पटना सिटी के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII द्वारा पारित दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और सजा के आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलार्थी को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

41.1 चूंकि एकमात्र अपीलार्थी जेल में है, इसलिए उसे जेल हिरासत से तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो ।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

के.सी. झा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।